प्रेस नोट

दिनांक 02.10.2020

सराहनीय कार्य थाना जायस जनपद अमेठी

बिना चिकित्सीय पंजीकरण के अवैध रूप से किये जा रहे गर्भपात के दौरान मृत्यु एवं तदुपरान्त शव छिपाने का खुलासा, प्रकाश में आये 04 अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त 01 मारूती वैन, 01 स्कूटी व 02 एन्ड्रायड मोबाइल फोन बरामद ।

पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री दिनेश सिंह के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक श्री दयाराम सरोज के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी तिलोई श्री आनन्द कुमार के कुशल नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में भरत उपाध्याय थानाध्यक्ष जायस के निकट नेतृत्व में आज दिनांक 02.10.2020 को उ0नि0 माधव राज द्विवेदी थाना जायस मय हमराह द्वारा एक स्कूटी व मारूती वैन पर सवार मु0अ0स0 233/20 धारा 314,201,34 भादवि व 15 मेडिकल एक्ट में विवेचना से प्रकाश में आये 04 अभियुक्त 1. गुड्डी पत्नी मो0 इस्लाम नि0 ग्राम छतोह थाना नसीराबाद जनपद रायबरेली, 2. रीना राय पत्नी स्व0 अशोक राय नि0 मोहल्ला कैथन कस्बा थाना नसीराबाद जनपद रायबरेली मूल पता ग्राम अड़कगटा जनपद 24 परगना पश्चिम बंगाल राज्य, 3. आकिल पुत्र आशिक नि0 मोहल्ला खाली साहट थाना कोतवाली नगर जनपद रायबरेली, 4. शकीला पुत्री सत्तार नि0 मो0 शेखाना कस्बा व थाना जायस जनपद अमेठी को बोझी भूलामऊ बैरियर के पास से समय 07:30 बजे गिरफ्तार किया गया । अभियुक्ता गुड्डी व अभियुक्त आकिल के पास घटना में प्रयुक्त 01-01 एन्ड्रायड मोबाइल फोन बरामद हुआ । घटना में प्रयुक्त मारूती वैन व स्कूटी कब्जा पुलिस में लिया गया । थाना जायस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

वादी श्री मकसूद पुत्र वाजिद नि0 ग्राम पूरे लोकई मजरे मऊ थाना जायस जनपद अमेठी द्वारा थाना जायस पर दिनांक 30.07.2020 को प्रार्थी की बहन किस्मतुल निशा उम्र 40 वर्ष जिनकी शादी मो0 वसीम पुत्र स्व0 जुम्मन ग्राम शोतिया मजरे बोझी भुलामऊ थाना जायस के साथ हुई थी जो दिनांक 28.07.2020 को सुबह लगभग 10 बजे अपने घर शोतिया से अपने बच्चों से सामान लाने की बात बता कर गई थी जो घर नहीं आई है। उक्त के सम्बन्ध में थाना जायस पर मु0अ0स0 233/20 धारा 366 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कर होकर विवेचना के दौरान मुकदमा उपरोक्त में धारा 366 भादवि को घटाकर धारा 314,201,34 भादवि व 15 मेडिकल एक्ट की बढ़ोत्तरी करते हुये विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्तगण पूछताछ में बताये कि मृतका किस्मतुल निशा का 05 माह का गर्भ था जिसको 15 हजार रुपये में गर्भपात कराने के लिये शकीला, मृतका किस्मतुल निशा को साथ लोकर गुड्डी के पास गई। गुड्डी महिला अस्पताल जायस में दाई का काम करती है, गुड्डी किस्मतुल निशा व शकीला को साथ लेकर रीना बंगाली डाक्टर के पास नसीराबाद ले गई। इन्जेक्शन गर्भपात किये तथा किस्मतुल निशा की अत्यधिक ब्लीडिंग होने के कारण तबीयत बिगड़ गई। किस्मतुल निशा को लेकर फुरसतगंज अस्पताल ले गये वहां से रायबरेली ले जाते समय किस्मतुल निशा की मृत्यु हो गई। शव को छुपाने के लिये पुनः रीना के घर लाये वहाँ से अकील की मारूती वैन से रात में शव को ले जाकर परशदेपुर रोड पर चौदहा ताल थानाक्षेत्र डीह जनपद रायबरेली के पास रोड के बायें तरफ झाड़ी में फेंक दिये । अभियुक्तगण अपनी गलती स्वीकार करते हुये घटना कारित करना बताया।

PRESS NOTE

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. गुड्डी पत्नी मो0 इस्लाम नि0 ग्राम छतोह थाना नसीराबाद जनपद रायबरेली।
2. रीना राय पत्नी स्व0 अशोक राय नि0 मोहल्ला कैथन कस्बा थाना नसीराबाद जनपद रायबरेली मूल पता ग्राम अड़कगटा जनपद 24 परगना पश्चिम बंगाल राज्य।
3. आकिल पुत्र आशिक नि0 मोहल्ला खाली साहट थाना कोतवाली नगर जनपद रायबरेली।
4. शकीला पुत्री सत्तार नि0 मो0 शेखाना कस्बा व थाना जायस जनपद अमेठी।

बरामदगीः-

1. 01 अदद मारूती वैन यूपी 33 एजे 7011 **(घटना में प्रयुक्त)।**
2. 01 अदद स्कूटी यूपी 33 बीए 2922 **(घटना में प्रयुक्त)।**
3. 02 अदद एन्ड्रायड मोबाइल फोन **(घटना में प्रयुक्त)।**

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 233/20 धारा 314,201,34 भादवि व धारा 15 मेडिकल एक्ट थाना जायस जनपद अमेठी।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 माधवराज द्विवेदी थाना जायस जनपद अमेठी।
2. का0 विजय केश यादव थाना जायस जनपद अमेठी।
3. का0 अर्जुन थाना जायस जनपद अमेठी।
4. का0 नीरज थाना जायस जनपद अमेठी।
5. म0का0 शकुन्तला थाना जायस जनपद अमेठी।
6. म0का0 आरती थाना जायस जनपद अमेठी।

PRESS NOTE